



कुल																				
कुल (शब्दों में)																				
करोड़	लाख	हजार	सैंकड़ा	दहाई	इकाई															
नगद में भुगतान/खाते में जमा/चेक नं.										दिनांक										
आहरण										रु.										
बैंक एवं शाखा का नाम																				
दिनांक																				
भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर																				
<b>करदाता प्रतिपण</b> (करदाता द्वारा भरे जाने के लिए) (कटौतीदाता)										<b>बैंक सील के लिए रिक्त स्थान</b>										
पैन																				
से प्राप्ति																				
(नाम)																				
नगद/खाते में जमा/चेक नं.										रु.										
रु. (शब्दों में)																				
आहरण																				
(बैंक और शाखा का नाम)																				
समकरण करारोपण (119) के कारण भुगतान																				
करदाता (कटौतीदाता)										की गई मांग के अनुसार देययोग्य										
द्वारा देययोग्य करारोपण										करारोपण										
विविध																				
वित्त वर्ष के लिए										-										

\* टिप्पणी

1. कृपया ध्यान दें कि गलत पैस देने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272खख के अनुसार रू. 10,000/- का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. भुगतान खंड के प्रकार में, कृपया दिए गए करारोपण के प्रकार के अनुसार प्रासंगिक कोष्ठक में टिक करें।
3. करादाता निम्नानुसार समकरण करारोपण के भुगतान के लिए कृपया चेक/डीडी आहरण जारी करें :  
भुगतान.....(बैंक का नाम जहां चालान जमा किया जा रहा है) खाता आयकर
4. कटौतीदाता का अर्थ भारत में एक स्थाई प्रतिष्ठान रखने वाले एक गैर-निवासी अथवा पेशेवर अथवा व्यापार करने वाला, जिसे निर्दिष्ट सेवा (वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII की धारा 166) के संबंध में गैर-निवासी को देय अथवा देययोग्य राशि से समकरण करारोपण को काटना आवश्यक है।

कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक प्राप्ति में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. बैंक शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड
2. चालान को जमा करने की तिथि (डीडी एमएम वाईवाई)
3. चालान क्रमांक सं.

इसे निर्दिष्ट सेवाओं के आपके विवरण में उद्धृत किया जाना होगा।